Act No. 13 of 2014

2014 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 6–ख का प्रतिस्थापन।

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2014 है।

धारा 2 का संशोधन।

1979 का 15

2. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (छछ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

> "(छछ) "प्राप्ति" से होटल में उपलब्ध करवाई गई किसी विलास–वस्तु के लिए स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त की गई तथा प्राप्य धनीय प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है;।"

धारा 6–ख का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6–ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

> "**6–ख. प्रशमनस्वरूप एकमुश्त विलास वस्तु कर.**––इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी स्वत्त्वधारी, प्रशमनस्वरूप एकमुश्त विलास–वस्तु कर, जैसा आयुक्त या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, लोकहित में, होटल में उपलब्ध करवाई गई विलास–वस्तु के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा नियत दरों और

प्रभारों पर आधारित सरलीकृत सूत्र के आधार पर अवधारित करे, का संदाय ऐसी शर्तों के अध्यधीन, ऐसी रीति में और ऐसे अन्तरालों पर करने के लिए दायी होगा, जैसे विहित किए जाएं और तदुपरि ऐसे प्रशमन के प्रवृत्त रहने के दौरान इस अधिनियम के उपबन्ध तथा ऐसे स्वत्वधारी द्वारा विवरणियों को दाखिल करने और लेखों के रख–रखाव से सम्बन्धित तद्धीन बनाए गए नियम उसे लागू नहीं होंगे।"।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है।

अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला–171004.
दिनांक :19-03-2014

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूँ

राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला–171002.
दिनांक 29-3-2014

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 3 OF 2014

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2014

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2014

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Substitution of section 6-B.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2014

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No.15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2014.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in 15 of 1979 Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (gg), the following clause shall be substituted, namely:—

"(gg) "receipt" means the amount of monetary consideration received or receivable by a proprietor for any luxury provided in a hotel;".

Substitution of section 6-B.

3. For section 6-B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"**6-B. Lump-sum luxury tax by way of composition.—** Notwithstanding anything contained in this Act, the proprietor shall be liable to pay luxury tax in lump-sum by way of composition, as the Commissioner or the officer authorized by him in this behalf may determine, in public interest, on the basis of a simplified formula based on rates and charges fixed by the prescribed authority for the luxury provided in

a hotel and subject to such conditions, in such manner and to be paid at such intervals as may be prescribed, and thereupon, during the period such composition remains in force, the provisions of this Act and the rules made thereunder relating to the filing of returns and the maintenance of accounts by such proprietor shall not apply to him.".

मैं, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 3) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

उर्मिला सिंह

राज्यपाल

हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 3) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग भानु सिंह

प्रधान सचिव (विधि),

हिमाचल प्रदेश सरकार।